रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 1990/ज्येष्ठ 21, 1912
No. 139] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 1990/JYAISTHA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 11 जून, 1990

सं. 1-4-90 एम.एम.-1:—दिनांक 7 मई, 1985 के संकल्प सं. 7-22/85-धानिकी (पी) द्वारा राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। दिनांक 1-4-90 के संकल्प संख्या 1-8/89-टी.एम.ए. द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बोर्ड, परती भूमि विकास कार्यक्रम की आयोजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में जन-सहयोग प्राप्त करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने तथा अन्तर-विषय समन्वय स्थापित करने के लिये मिशन का दृष्टिकोण अपनाएगा।

2. तद्नुसार, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के गठन और उसकी भूमिका और कार्यों में तत्काल निम्नलिखित परिवर्तन किये जाते हैं :—

गठन

क. पदेन सदस्य :

(1) केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री —अध्यक्ष
(2) केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री—उपाध्यक्ष
(3) सदस्य, योजना आयोग, पर्यावरण कार्यभारी—सदस्य
(4–8) निम्नलिखित विभागों में भारत सरकार के सचिव :—

—कृषि और सहकारिता —सदस्य
—ग्रामीण विकास —सदस्य
—कृषि अनुसंधान और शिक्षा —सदस्य
—व्यय —सदस्य (वित्त)
—विज्ञान और प्रौद्योगिकी —सदस्य

(9) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड —सदस्य
(10) वन महानिरीक्षक, भारत सरकार —सदस्य
(11) अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक —सदस्य

ख. नामित सदस्य :—

(12–13) संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक से एक–एक) —सदस्य

(14–18) परती भूमि विकास और उससे संबंधित कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं, आदि के प्रतिनिधि (5 से अधिक नहीं) (अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किये जायेंगे) —सदस्य

(19–21) तीन राज्यों के मुख्य सचिव (अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किये जायेंगे) —सदस्य

ग. सदस्य सचिव :—

(22) सचिव (पर्यावरण और वन) —सदस्य सचिव

भूमिका और कार्य :—

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड देश में भूमि के निकृष्टीकरण को रोकने और उसे सतत् उपयोग के लिये तैयार करने उपलब्ध बायोमास में वृद्धि करने विशेषत: ईंधन लकड़ी, चारा और वनोपज के संदर्भ में और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने पर आधारित परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिये मुख्यत: उत्तरदायी होगा। बोर्ड, परती भूमि विकास कार्यक्रम की आयोजना तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन में जन-सहयोग प्राप्त करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने तथा अन्तर-विषय समन्वय स्थापित करने के लिये मिशन का दृष्टिकोण अपनाएगा । इसके लिए बोर्ड :

(1) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड के सहयोग से देश में परती भूमि के सतत् उपयोग के प्रबंध विकास के लिये एक संदर्भ योजना तैयार करेगा।

(2) परती भूमि का पता लगायेगा, एक विश्वसनीय आंकड़ा आधार तैयार करेगा और परती भूमि विकास कार्यक्रम हेतु अपेक्षित संसाधन और सहायता उपलब्ध किये जाने के लिये केन्द्र और राज्य के संबंधित विभागों/एजेंसियों, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करेगा।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की ईंधन लकड़ी, चारे, और वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लागत प्रभावी रूप से सुव्यवस्थित आयोजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के माध्यम से एकीकृत परती भूमि विकास हेतु एक कार्य प्रणाली तैयार करेगा ।

(4) पारिस्थितिकीय सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों की ईंधन लकड़ी, चारे और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्राकृतिक पुनरुत्पादन अथवा समुचित मध्यस्थता करके देश को हरा-भरा बनायेगा ।

(5) वन क्षेत्रों पर पड़ रहे दबाव को कम करने और उपयोग व विपणन की जरूरतों की पूर्ति के लिये गैर-वन क्षेत्रों और निजी परती भूमि पर ईंधन लकड़ी, चारे और इमारती लकड़ी का वृक्षारोपण करेगा ।

(6) परती भूमि के विकास हेतु नई और समुचित प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिये अनुसंधान को प्रायोजित करेगा और अनुसंधान के परिणामों का विस्तार करेगा ।

(7) स्वैच्छिक एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य के सहयोग से परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिये जन-जागरूकता पैदा करेगा और एक जन-आंदोलन तैयार करने में मदद करेगा तथा सामुदायिक/सार्वजनिक भूमि व अन्य इसी प्रकार के निकृष्ट सामुदायिक सम्पत्ति संसाधनों में भागीदारी और उनके सतत् प्रबंध को बढ़ावा देगा।

(8) सुव्यवस्थित रूप से और लागत प्रभावी तरीके से भूमि की किस्म को उन्नत बनाने के लिये परती भूमि विकास, वनीकरण, वृक्षारोपण मृदा और नमी संरक्षण आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिये कार्य-योजनाओं का समन्वय करेगा और उनका अनुवीक्षण करेगा।

(9) देश में परती भूमि के विकास के लिये अपेक्षित अन्य सभी उपाय करेगा।

महेश प्रसाद, सचिव।

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

RESOLUTION

New Delhi, the 11th June, 1990

No. 1-4-90/MM-1.—By Resolution No. 7-22/85-FRY(P) dated 7th May, 1985, the National Wastelands Development Board was established. Vide Resolution No. 1-8/89-TMA dated 9-4-90, it was decided that the Board will adopt a mission approach for enlisting peoples' participation, harnessing science and technology and achieving the necessary inter-disciplinary coordinaiion in the planningand implementation of the Wastelands Development Programme.

2. Further, the following changes are made in the composition and the role and functions of the National Wastelands Development Board with immediate effect.

COMPOSITION

A. Ex-officio-Members :

(1) Union Minister for Environment & Forests —Chairman

(2) Union Minister of State for Environment & Forests —Vice-Chairman

(3) Member, Planning Commission, in charge of Environment. —Member

(4-8) Secretaries to the Govt. of India in the Departments of :
—Agriculture & Co-operation Member.
Rural Development —Member.
—Agricultural Research & Education —Member
Expenditure —Member (Finance)
—Science & Technology —Member

(9) Member-Secretary, National Land Use and Conservation Board. —Member

(10) Inspector General of Forests, Govt. of India. —Member

(11) Chairman, National Bank of Agriculture and Rural Development. —Member

B. Nominated Members :

(12–13) Members of Parliament (one each from the Lok Sabha and the Rajya Sabha) —Member

(14–18) Representatives (not exceeding five) of Voluntary Agencies Cooperative Institutions, etc. concerned with wastelands development and related activities (to be nominated each year by the Chairman) —Member

(19-21) Chief Secretaries of three States (to be nominated each year by the Chairman) —Member.

Member Secretary

(22) Secretary (Environment & Forests) —Member-Secretary

ROLE AND FUNCTIONS:

The National Wastelands Development Board will be mainly responsible for the Wastelands Development programme aimed at checking land degradation and putting wastelands in the country to sustainable use, increasing biomass availability, especially fuelwood fodder and forest produce, and storing the ecological balance. The Board will adopt a mission approach for enlisting peoples' participation, arnessing science and technology and achieving inter-disciplinary coordination in the planning and implementation of the Wastelands Development Programme To this end, it will :

(i) Formulate, in collaboration with the National Land Use and Conservation Board, a perspective plan for the management/development of the wastelands in the country in a sustainable manner.

(ii) Identify wastelands, create a reliable data base and collaborate with the concerned Central and State Departments/Agencies, Local Bodies, Voluntary Agencies and other Non-government Organisations to mobolise the resources and support required for the Wastelands Development Programme.

(iii) Evolve mechanisms for integrated development of wastelands through systematic planning and implementation, in a cost effective manner, specially to meet the needs of the people in the rural areas in respect of fuelwood, fodder and forest produce.

(iv) Restore, through natural regeneration for appropriate intervention, the forest cover in the country for ecological security and meet the fuelwood, fodder and other needs of the rural communities.

(v) Raise fuelwood, fodder and timber on non-forest and private wastelands in order to reduce the pressure on the forest areas and to meet the needs of industry and market.

(vi) Sponsor research and extension of research findings to disseminate new and appropriate technologies for wastelands development.

(vii) Create general awareness and help foster a people's movement for the Wastelands Development programme with the assistance of Voluntary Agencies, Non-Government Organisations, Panchayati Raj Institutions and others, and promote participatory and sustainable management of community public lands and other similar degraded common property resources.

(viii) Coordinate and monitor the Action plans for activities related to wastelands development, afforestation, tree planting, soil and moisture conservation, etc., in order to upgrade land quality in a systematic and cost effective manner.

(ix) Undertake all other measures necessary for promoting wastenlds development in the country.

MAHESH PRASAD, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990